

निगरानी नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रकरण सं० 03/2008 (RCMS No. 2008/00005) अनवानी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर जरिये आयुक्त नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर बनाम राजकुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति खूंगर(अरोड़ा) आयु लगभग 68 वर्ष निवासी 124 रविदासनगर, श्रीगंगानगर
26.08.2019



प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल छाबड़ा एव अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा उपस्थित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 8(ग) नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी नगरपरिषद् श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) के अन्तर्गत के अन्तर्गत रामकुमार पुत्र लालचन्द को आवंटित मकान संख्या 124 क्षेत्रफल 45 फीट गुणा 40 फीट, आवंटन नियमन अधिकार पत्र क्रमांक/नियमन/आवंटन/1999/117 दिनांक 28.08.2000 के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु पेश की थी और अब चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) नया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये।

जिला क्लर्क
श्रीगंगानगर

मैंने उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर ने उक्त निगरानी दिनांक 06.05.2008 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) एवं नया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत पेश की थी और अप्रार्थी राजकुमार को आवंटित मकान संख्या 124 क्षेत्रफल 45 फीट गुणा 40 फीट, आवंटन नियमन अधिकार पत्र क्रमांक/नियमन/आवंटन/1999/117 दिनांक 28.08.2000 के आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की थी। पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता अर्थात् जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है। इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई एवं निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी/ न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर बनाम राजकुमार को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी उसे लौटाई जाती है। इस आशय का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर